

18.11.19

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त उपर।
अधिनियम न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो जाती
है। जो शांफा की जाती। पत्रावली आ अपलोड
दिया गया। प्रमाण तहसीलदार एवं अतिरिक्त
निरीक्षक अधिकारी नगर विकास न्याय क्षेत्र
द्वारा प्रमाण सं. 61/19 धारा 90 व 90(ए), 91(ए)
व 91(बी), 91(सी), 92, 92(ए) राज नगर सुधार
अधिनियम 1959 अन्तर्गत दि. 12.6.2019 को निर्णय
पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलान्त
निर्णय से विरुद्ध न्यायालय हाजा में नगर सुधार
अधिनियम 1959 की धारा 91(2) में प्रस्ताव अपील
पेश की गई है। विधि अनुसार राजस्थान नगर सुधार

Chetna
24/11/19

(T)

P.T.O.

अधिनियम 1959 की धारा 92(ए) में परिचित निषेध के विरुद्ध अपील के श्रवणाधिकार की शक्ति धारा 92-ए(12) के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश को प्रदत्त होने से प्रसंगत मूल अपील सडाम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलार्थी को लोटायी जाती है। अपील नियमानुसार अपीलार्थी को लोटायी जावे। पञ्चवली नम्बर से कम होकर बाद तामील लक्ष्मील दाखिल दफ्तर हो।

५

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा